राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

क्रमांकः एफ 1008(20)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/154 दिनांक : 25/02/16

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
(समस्त जिले)

विषयः दिनांक 29.02.2016 को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु की जाने वाली विडियो कॉन्फ्रेसिंग के संबंध में।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा बैठकों के दौरान यह तथ्य ध्यान में आये हैं कि चिकित्सा संस्थानों द्वारा डोक्यूमेंट अपलोड करने में तथा बीमा कम्पनी द्वारा उठायी गयी क्वेरी का जवाब देने में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण बीमा कम्पनी द्वारा बीमा क्लेम प्रोसेस करने तथा भुगतान करने में देरी हो रही है। इस क्रम में दिनांक 29.02.2016 को प्रातः 11 से 2 बजे तक विडियो कॉन्फ्रेसिंग का आयोजन किया जा रहा है।

यह विडियो कॉन्फ्रेसिंग चिकित्सा संस्थान के स्तर पर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के सॉफ्टवेयर में गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने, क्लेम क्वेरी तथा प्री ओथ क्वेरी का प्रत्युत्तर समय पर ना देने तथा संस्थान स्तर पर इसी प्रकार की अन्य गलतियों पर चर्चा करने तथा आवश्यक दिशा निर्देश देने हेतु आयोजित की जा रही है। इस विडियो कॉन्फ्रेसिंग में निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहेंगे:–

1. नोडल ऑफिसर (समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थान)
2. स्वास्थ्य मार्गदर्शक (समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थान)
3. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत अधिकृत निकटम निजी अस्पताल का स्वास्थ्य मार्गदर्शक।

यह विडियो कॉन्फ्रेसिंग अटल सेवा केन्द्रों से आयोजित की जायेगी, इसमें संबंधित ब्लॉक के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों के नोडल ऑफिसर तथा स्वास्थ्य मार्गदर्शक संबंधित ब्लॉक के अटल सेवा केन्द्र पर वीसी हेतु उपस्थित होंगे। जिला स्तर के राजकीय चिकित्सा संस्थानों के नोडल ऑफिसर तथा स्वास्थ्य मार्गदर्शक अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला स्तर के अटल सेवा केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे।

उक्त विडियो कॉन्फ्रेसिंग में समस्त स्वास्थ्य मार्गदर्शकों तथा नोडल ऑफिसर की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः स्वास्थ्य मार्गदर्शक की वीसी में आते समय उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित नोडल ऑफिसर द्वारा सुनिश्चित की जानी है ताकि उसकी अनुपस्थिति में आने वाले मरीजों को परेशानी ना हो।

(नवीन जैन)
मिशन निदेशक, NHM
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्यारेंस एजेन्सी

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 1008(20)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/154 दिनांक : 25/02/16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
5. समस्त अधीक्षक मेडीकल कॉलेज
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल
7. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
4. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि वह अपने ब्लॉक के समस्त नोडल ऑफिसर एवं स्वास्थ्य मार्गदर्शकों का नियत तिथि व समय पर ब्लॉक के अटल सेवा केन्द्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में निकटतम निजी अस्पताल को सूचित करें।
8. नोडल ऑफिसर (समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थान)
9. श्री चेतन प्रकाश शर्मा, एसीपी, स्वास्थ्य भवन को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की व्यवस्था DMHS कॉन्फ्रेंस हॉल में कराना सुनिश्चित करें।
10. स्टोर ऑफिसर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान 20 व्यक्तियों हेतु जलपान तथा नाश्ते की व्यवस्था करें।
11. सेन्ट्रल सर्वर रूम – ईमेल एवं अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

मिशन निदेशक, NHM
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्यारेंस एजेन्सी